

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी


क. 187 / दो-11-01/02

// आदेश //

कटनी दिनांक:- 03/05/24

प्रशासनिक कार्य व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से, निम्न विवरण अनुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारी का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-


कं.	तृतीय श्रेणी कर्मचारी का नाम	कहां से (न्यायालय/अनुभाग)	कहां को (न्यायालय/अनुभाग)	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री दिनेश तिवारी, प्रस्तुतकार सिविल	श्री मुकेश नाथ, प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी	श्री नदीम जावेद खान चतुर्थ व्यव. न्या. वरिष्ठखंड कटनी	अटैच सहायक ग्रेड-3
2	श्री कृष्ण कुमार चौधरी, प्रस्तुतकार सिविल	श्रीमति सिद्धि मिश्रा सप्तम जिला न्यायाधीश कटनी	श्री मुकेश नाथ, प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी	श्री दिनेश तिवारी, के स्थान पर
3	श्री विनोद धुर्वे, प्रस्तुतकार दांडिक	श्रीमती अंकिता त्रिपाठी षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कटनी	सुश्री प्रीतिबाला मुनिया, प्रशिक्षु व्यवहार न्याया0 कनिष्ठ खंड कटनी	सिविल / किमीनल रीडर / साक्ष्य लेखक
4	श्री शंभूनाथ श्रीवास्तव, प्रस्तुतकार दांडिक	श्रीमती सृष्टि दुबे, नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कटनी	श्रीमती अंकिता त्रिपाठी षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कटनी	श्री विनोद धुर्वे के स्थान पर


24/5/24
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी म.प्र.

कटनी दिनांक 03/05/24

पृष्ठांकन क्रमांक/1066/दो-11-01/02
प्रतिलिपि :-

1. कॉलम क्रं. 3 में अंकित न्यायिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ पदस्थ कर्मचारी को तत्काल भारमुक्त करें।
2. कॉलम क्रं. 4 में अंकित न्यायिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित कर्मचारी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह तत्काल अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन पेश करें।
4. लेखापाल/सहायक लेखापाल/जिला नाजिर/वेतन लिपिक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


24/5/24
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी म.प्र.